न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मऊ, चित्रकूट ।

मूलवाद संख्या 65/2014

दुर्गा प्रसाद सिंह बनाम सुरेशचंद्र

दिनांक 17.1.2018

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई । विगत तिथि पर उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 6ग2 तथा आपत्ति 23ग2 पर सुना जा चुका है, पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग2 प्रस्तुत कर अस्थायी व्यादेश हेतु की याचना इस कथन के साथ किया गया है कि वादपत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर निवेदन है कि विवादित भूमि जिसे वादपत्र के अंत में प्रदर्शित नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शाया गया है, पर प्रतिवादीगण व उनके मेली मददगारों को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश रोका जाना परम आवश्यक है । दौरान मुकदमा यदि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करने में कामयाब हो गये तो वाद दायरा का उद्देश्य विफल हो जायेगा तथा हम वादीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई मुद्रा से किया जाना संभव नहीं है । प्रथम दृष्टया केस सुविधा संतुलन एवं अपूरक क्षति का बिन्दु वादीगण के पक्ष में है ।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग2 के विरूद्ध आपत्ति कागज संख्या 23ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में सही तथ्यों को छिपाकर स्थगन आदेश दिनांक 22.7.2014 को प्राप्त किया है जो गलत एवं अवैधानिक है तथा निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित भूमि का वादी क्रमांक 1 ने वैध ढंग से प्रतिफल की धनराशि नकद लेकर बैनामा कर दिया है और वाद बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी मौके पर काबिज दखील है । वादीगण के हक में विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 22.7.2014 पूर्णतः एकपक्षीय अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है । प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नी (जिसको वादीगण ने वाद में छिपाकर दायर किया है) को विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्णतया अधिकार हासिल है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश अवैध स्थगन आदेश दिनांक 22.7.2014 निरस्त करा दें । प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी को विवादित भूमि पर संक्रमणीय भूमिधर के हक व हकूक हासिल हैं वैध बैनामा के आधार पर प्रतिवादीगण का कब्जा दखल है । अतः प्रार्थना पत्र 6ग2 निरस्त किया जाए ।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को दृष्टिगत रखना है ।

प्रार्थना पत्र 6ग2 के सम्बन्ध में वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि आराजी नंबर 302 रकवा 0.077हे0 ग्राम छिवलहा तहसील मऊ जिला चित्रकूट जिसे वादपत्र के अन्त में प्रदर्शित नक्शा नजरी में अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है । वादी नंबर 1 की पैतृक भूमि है तथा राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है तथा इसी हैसियत से मौके पर काबिज दखील है तथा वादी संख्या 2 वादी संख्या 1 का सगा पुत्र है तथा जमीन जायदाद की देखभाल व वादी संख्या 1 की देखभाल वादी संख्या 2 द्वारा की जाती है । प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है ।

प्रतिवादीगण अत्यंत धनवान व असरदार व्यक्ति हैं जो वादीगण के स्वामित्व व कब्जे वाली भूमि पर अवैध कबजा कर हड़पने का गलत इरादा रखते हैं जिसका कि उन्हें कोई कानूनन अधिकार नहीं है एवं धन के चलते विवादित भूमि पर अवैध निर्माण करने पर अमादा हैं । उक्त कथन के साथ वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से स्थायी व्यादेश की मांग की गयी है एवं प्रार्थना पत्र 6ग2 द्वारा अस्थायी व्यादेश की मांग की गयी है ।

प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादीगण द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर वास्तविक स्थिति को छिपाकर गलत आधारों पर वाद दायर किया है । विवादित भूमि गाटा संख्या 302 रकवा 0.077हे0 स्थित ग्राम छिवलहा तहसील मऊ जिला चित्रकूट ने प्रतिवादी सुरेशचंद्र की पत्नी श्रीमती राजकुमारी सोनी द्वारा दिनांक 18.6.2014 को बेनामा दुर्गा सिंह पुत्र रामकृष्ण से लिया है तथा बाद बैनामा मौके पर काबिज दखील है । प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती राजकुमारी सोनी ने दिनांक 18.6.2014 को दुर्गा सिंह वादी से बैनामा की संपूर्ण धनराशि नकद रूप में देकर बैनामा कराया है जो कानूनन सही एवं वैधानिक दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी को विवादित भूमि पर संक्रमणीय भूमिधर के हक व हकूक हासिल हो गये हैं । दिनांक 18.6.2014 को बैनामा करने के पश्चात विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण का कोई हक हकूक यदि रहा भी हो तो बाद बैनामा शेष नहीं रहा । वादीगण हम प्रतिवादीगण को मात्र परेशान करने के लिए झूंठा एवं फर्जी मुकदमा दायर किया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि कागज संख्या 10ग1 फेहरिस्त सूची से कागज संख्या 11ग1 नकल खतौनी दाखिल की गयी है । जिसके अवलोकन से दृष्टिगत है कि फसली वर्ष 1416–1421 की नकल खतौनी में गाटा संख्या 302 रकवा 0.077हे0 पर वादी संख्या 1 दुर्गा सिंह का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है एवं कागज संख्या 12ग1 नकल खसरा के अवलोकन से दृष्टिगत है कि फसली वर्ष 1420 में गाटा संख्या 302 रकवा 0.077 पर दुर्गा सिंह (वादी संख्या 1) का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है । उक्त दस्तावेजों से विवादित भूमि वादी संख्या 1 दुर्गा सिंह के नाम दर्ज कागजात होना दृष्टिगत है । पत्रावली पर फेहरिस्त सूची 17ग1 के माध्यम से रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज बैनामा दिनांक 18.6.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 19ग1/1 लगायत 19ग1/12 दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से दृष्टिगत है कि विवादित भूमि गाटा संख्या 302 रकवा 0.077 वादी संख्या 1 दुर्गा सिंह द्वारा केती श्रीमती राजकुमारी सोनी पत्नी श्री सुरेशचंद्र सोनी (प्रतिवादी संख्या 1) के पक्ष में दिनांक 18.6.2014 को विक्रय किया गया है जिसकी रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय मऊ में दिनांक 18.6.2014 को की गयी है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या दृष्टिगत हो रहा है कि विवादित भूमि वादी संख्या 1 दुर्गा सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात रही, परंतु उपनिबंधक मऊ द्वारा प्रमाणित नकल रजिस्ट्री विलेख से दृष्टिगत है कि वादी संख्या 1 दुर्गा सिंह ने अपने नाम दर्ज विवादित भूमि गाटा संख्या 302 रकवा 0.077हे0 विक्रय कर प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती राजकुमारी सोनी के पक्ष में दिनांक 18.6.2014 को जरिए बैनामा रजिस्ट्री किया

है । उक्त रजिस्ट्री विलेख के आधार पर विवादित भूमि पर वर्तमान समय में प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी राजकुमारी सोनी संक्रमणीय भूमिधर के रूप में काबिज दखील दृष्टिगत हो रही है यद्य पि मौखिक बहस के दौरान वादीगण ने रजिस्ट्री विलेख की वैधता पर प्रश्नचिन्ह उठाया है तथा उसे फर्जी कथित किया है जिसके सम्बन्ध में वादीगण का साक्ष्य अभी प्रस्तुत किया जाना है । रजिस्टर्ड दस्तावेज के सम्बन्ध में प्रेम सिंह बनाम वीरबल (2006) 5 एस सी सी 353 में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि Thers is presumption that a registered document is validly executed. So a registered document is prima facie valid in law. the person who challenges it has to rebut the presumption.अतः प्रस्तुत विधि व्यवस्था के आलोक में यह सुस्थापित है कि ऐसा दस्तावेज जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है वह विधि अनुसार निष्पादित किया गया है एवं विधि की दृष्टि में प्रथम दृष्टया वेध है और जो व्यक्ति ऐसी उपधारण का विरोध करता है खण्डन करने का दायित्व उस पर है । अतः वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती राजकुमारी के पक्ष में उपनिबंधक कार्यालय मऊ मे रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा विक्रय की रजिस्ट्री की वैधता के खण्डन का दायित्व वादीगण पर है एवं प्रस्तुत रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती राजकुमारी के पक्ष में वादी संख्या 1 द्वारा विक्रय के आधार पर जैसा कि रजिस्टर्ड दस्तावेज कागज संख्या 19ग1/1 लगायत 19ग1/12 से दृष्टिगत है प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती राजकुमारी सोनी विवादित भूमि की स्वामी काबिज दखील दृष्टिगत है तथा उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज से विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में दृष्टिगत है न कि वादीगण के पक्ष में है । अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न भी प्रतिवादीगण के पक्ष में है न कि वादीगण के पक्ष में । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग2 निरस्त किये जाने योग्य है

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग2 निरस्त किया जाता है । वादीगण के पक्ष में पारित एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश का आदेश दिनांक 22.7.2014 निरस्त किया जाता है । आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है । पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 13.2.2018 को पेश हो ।

सिविल जज (जू0डि0) मऊ, चित्रकूट ।